

**HARYANA GOVERNMENT**  
**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**  
**Notification**

**The 27<sup>th</sup> October, 2005**

**No. CCP (NCR)/EW/GGN/23/CA/B/2005/1659.-** In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the area within a distance of two kilometres around Government Primary School. Village Mohammadpur in the revenue estate of Village Mohammadpur-Saidpur, District Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purpose of the said Act, namely :-

**Schedule**

Schedule of boundaries of the controlled area around Government Primary School at Village Mohammadpur in revenue estate of Village Mohammadpur-Saidpur (Hadbast No. 117), District Gurgaon to be read with Drawing No. DTP (G) 1369/2005, dated the 19<sup>th</sup> April, 2005.

- North: Starting from point 'A' i.e. North-West corner of rectangle No. 136 of village Sultanpur (Hadbast No. 39), thence towards East along northern boundary of rectangle Nos. 136, 135, 134 and 133 of village Sultanpur (Hadbast No. 39) upto point 'B' i.e. North-East corner of rectangle No. 133 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39).
- East: Thence from point 'B' towards South along the Eastern village boundary of rectangle Nos. 133, 141, 165 and 174 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39) upto South-East corner of rectangle No. 174 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39), thence towards East along Northern boundary of rectangle No. 193 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39) upto North-East corner of same rectangle, thence towards South along Eastern boundary of rectangle No. 193 and 203 of Village Sultanpur (Hadbast No. 39) and Eastern boundary of rectangle No. 31, 30, 29, 28 and 27 of village Mohammadpur-Saidpur (Hadbast No. 117) and Eastern boundary of rectangle Nos. 71, 70 and 69 of Village Patli-Hazipur (Hadbast No. 34) upto point 'C' i.e. South-East corner of rectangle No. 69 of Village Patli-Hazipur (Hadbast No. 34).
- South: Thence from point 'C' towards West along Southern boundary of rectangle No. 69, of village Patli-Hazipur (Hadbast No. 34) upto South-West corner of the same rectangle, thence towards South along Eastern boundary of rectangle No. 6 of Village Patli-Hazipur (Hadbast No. 34) upto South-East corner of same rectangle, thence towards West along Southern boundary of rectangle Nos. 6 and 5 of Village Patli-Hazipur (Hadbast No. 34) and rectangle Nos. 161 and 160 of Village Farrukh nagar (Hadbast No. 35) upto South-West corner of rectangle No. 160 of Village Farrukh nagar (Hadbast No. 35), Thence towards North along Western boundary of rectangle No. 160 of Village Farrukhnagar (Hadbast No. 35) upto South-West corner of same rectangle, thence towards West along Southern boundary of rectangle No. 156 of Village Farrukhnagar (Hadbast No. 35) upto its South-West corner, thence towards North along Western boundary of the same rectangle upto its North-West corner, thence towards West along Southern boundary of rectangle No. 147 of Village Farrukh nagar (Hadbast No. 35) upto point 'D' i.e. South-West corner of rectangle No. 147 of Village Farrukhnagar (Hadbast No. 35).
- West : Thence from point 'D' towards North along Western boundaries of rectangle Nos. 147, 146, 137, 136, 130, 129, 125, 124 and 121 of Village Farrukh nagar (Hadbast No. 35) upto North-West corner of rectangle No. 121 of Village Farrukh nagar (Hadbast No. 35), thence towards East along Northern boundary of rectangle 101 and 130 of Village Mubarikpur (Hadbast No. 37) upto point when it meets the revenue boundary of Village Sultanpur (Hadbast No. 39), thence towards North along the revenue boundary of Village Sultanpur (Hadbast No. 39) upto Point 'A' i.e. the point of start.

SHAKUNTALA JAKHU,  
Financial Commissioner and Principal Secretary to Government  
Haryana, Town and Country Planning Department.

हरियाणा सरकार  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 27 अक्टूबर, 2005

**संख्या सी0 सी0 पी0 (एन0 सी0 आर0) ड0 डब्ल्यू0/जी0 जी0 एन0/23/सी0ए0/बी0/2005/1659.**— पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र नियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट और इससे संलग्न योजना में दर्शाये गये, गांव मोहम्मदपुर-सहदपुर की राजस्व संपदा में स्थित गांव मोहम्मदपुर, जिला गुड़गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के इर्द गिर्द दो किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये नियन्त्रित क्षेत्र घोषित करते हैं, अर्थात् :-

**अनुसूची**

गांव मोहम्मदपुर-सहदपुर की राजस्व संपदा में स्थित गांव मोहम्मदपुर (हदबस्त संख्या 117), जिला गुड़गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के इर्द गिर्द नियन्त्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (जी) 1369/2005, दिनांक 19 अप्रैल, 2005, के साथ पढ़ा जाये।

**उत्तर:** बिन्दु 'ए' अर्थात् गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 136 के उत्तर-पश्चिम कोने से प्रारम्भ करते हुये, पूर्व की ओर गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 136, 135, 134 तथा 133 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'बी' अर्थात् गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 133 के उत्तर-पूर्व कोने तक।

**पूर्व:** तत्पश्चात् दक्षिण की ओर बिन्दु 'बी' से गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 133, 141, 165 तथा 174 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 174 के दक्षिण-पूर्व कोने तक, इसके बाद पूर्व की ओर गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 193 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ इसी आयत के उत्तर-पूर्व कोने तक, इसके बाद दक्षिण की ओर गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 193 तथा 2003 और गांव मोहम्मदपुर-सहदपुर (हदबस्त संख्या 117) की आयत संख्या 31, 30, 29, 28 तथा 27 और गांव पातली हाजीपुर (हदबस्त संख्या 34) की आयत संख्या 71, 70 तथा 69 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'सी' अर्थात् गांव पातली-हाजीपुर (हदबस्त संख्या 34) की आयत संख्या 69 के दक्षिण-पूर्व कोने तक।

**दक्षिण:** तत्पश्चात् पश्चिम की ओर बिन्दु 'सी' से गांव पातली-हाजीपुर (हदबस्त संख्या 34) की आयत संख्या 69 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ इसी आयत के दक्षिण-पश्चिम कोने तक, इसके बाद दक्षिण की ओर गांव पातली-हाजीपुर (हदबस्त संख्या 34) की आयत संख्या 6 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ इसी आयत के दक्षिण-पूर्व कोने तक, तत्पश्चात् पश्चिम की ओर गांव पातली-हाजीपुर (हदबस्त संख्या 34) की आयत संख्या 6 तथा 5 और गांव फरुख नगर (हदबस्त संख्या 35) की आयत संख्या 161 तथा 160 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ गांव फरुख नगर (हदबस्त संख्या 35) की आयत संख्या 160 के दक्षिण-पश्चिम कोने तक, इसके बाद उत्तर की ओर गांव फरुख नगर (हदबस्त संख्या 35) की आयत संख्या 160 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ इसी आयत के उत्तर-पश्चिम कोने तक, तत्पश्चात् पश्चिम की ओर गांव फरुख नगर (हदबस्त संख्या 35) की आयत संख्या 156 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ इसके दक्षिण-पश्चिम कोने तक, इसके बाद पश्चिम की ओर गांव फरुख नगर (हदबस्त संख्या 35) की आयत संख्या 147 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'डी' अर्थात् गांव फरुख नगर (हदबस्त संख्या 35) की आयत संख्या 147 के दक्षिण-पश्चिम कोने तक।

**पश्चिम:** तत्पश्चात् उत्तर की ओर बिन्दु 'डी' से गांव फरुख नगर (हदबस्त संख्या 35) की आयत संख्या 147, 146, 137, 136, 130, 129, 125, 124 तथा 121 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ गांव फरुख नगर (हदबस्त संख्या 35) की आयत संख्या 121 के उत्तर-पश्चिम कोने तक, इसके बाद पूर्व की ओर गांव मुबारिकपुर (हदबस्त संख्या 37) की आयत संख्या 131 तथा 130 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ उस बिन्दु तक जहां यह गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की राजस्व सीमा से मिलती है। इसके बाद उत्तर की ओर गांव सुलतानपुर (हदबस्त संख्या 39) की राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक, जो कि प्रारम्भ का बिन्दु है।

शकुन्तला जाखू,  
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।